अपीलीय अधिकरण कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,जयपुर

पीठासीन अधिकारी प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस.

(1) प्रकरण संख्या 35/2022 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

कुलजीत छाबडा पुत्र स्व॰ श्री रामलाल छाबडा निवासी बी–42, पार्थ सारथी, चतुर्थ मंजिल, स्वेज फार्म, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर।

अपीलार्थी

बनाम

1. श्रीमती किरण चितले पत्नी स्वर्गीय श्री भास्कर काशीनाथ चितले निवासी बी–42, पार्थ सारथी अपार्टमेन्ट, द्वितीय मंजिल, स्वेज फार्म, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर।
2. राहुल भास्कर चितले पुत्र स्व॰ श्री भास्कर काशीनाथ जाति ब्राह्मण निवासी बी–42, पार्थ सारथी अपार्टमेन्ट, द्वितीय मंजिल, स्वेज फार्म, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर।,
3. भव्या छाबडा पत्नी श्री राहुल भास्कर निवासी बी–42, पार्थ सारथी अपार्टमेन्ट, द्वितीय मंजिल, स्वेज फार्म, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर।
4. श्रीमती सुरजीत कौर पत्नी श्री कुलजीत निवासी बी–42, पार्थ सारथी अपार्टमेन्ट, चतुर्थ मंजिल, स्वेज फार्म, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर।
5. माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम ।

प्रत्यर्थीगण

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 विरूद्व आदेश दिनांक 07.11.2022 उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम प्रकरण संख्या 38/2022 ब उनवानी श्रीमती किरण चितले बनाम राहुल भास्कर चितले व अन्य।

उपस्थितः–

1. अपीलार्थी संख्या 1 कुलजीत छाबडा के प्रतिननिध उपस्थित है।
2. प्रत्यर्थी संख्या 2 राहुल भाष्कर, प्रत्यर्थी संख्या 3, भव्या छाबडा एवं प्रत्यर्थी संख्या 4 श्रीमती सुरजीत कौर के प्रतिनिधि उपस्थित है।

निर्णय दिनांक 19.12.2023

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के प्रकरण संख्या 38/2022 ब उनवानी श्रीमती

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

किरण चितले बनाम राहुल भास्कर चितले व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 07.11.2022 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रत्यर्थी संख्या 2 राहुल भास्कर चितले, प्रत्यर्थी संख्या 3 भव्या छाबडा, प्रत्यर्थी संख्या 4 श्रीमती सुरजीत कौर के प्रतिनिधि उपस्थित है। प्रत्यर्थी संख्या 1 किरण चितले को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया किन्तु उपस्थित नही है। प्रत्यर्थी राहुल भस्कर चितले द्वारा भी आलौच्य आदेश के विरूद्व पृथक से अपील पेश गई जो शामिल मिसल की गई।

अतः उभय पक्ष सुनी गई।

अपीलार्थी प्रतिनिधि ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि रेसपोडेन्ट संख्या 1 श्रीमती किरण चितले के द्वारा माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के समक्ष अपीलार्थी कुलजीत छाबडा तथा राहुल भास्कर चितले तथा उसकी पत्नी भव्या छाबडा एवं श्रीमती सुरजीत के विरूद्व प्रस्तुत किया गया जिसमें विपक्षी संख्या एक के रूप में राहुल चितले विपक्षी संख्या 2 के रूप में भव्या छाबडा विपक्षी संख्या 3 के रूप में अपीलार्थी कुलजीत तथा विपक्षी संख्या 4 के रूप में श्रीमती सुरजीत को पक्षकार बनाया गया । प्रार्थिया द्वारा मुख्यतः इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थिया 62 वर्षीय वृद्व महिला है तथा स्व अर्जित सम्पत्ति बी–42 पार्थ सारथी अपार्टमेन्ट सैकिण्ड फ्लोर, सुन्दर सिंह भण्डारी नगर, स्वेज फार्म सोडाला, जयपुर पर अपने परिवार सहित निवास करती है। प्रार्थिया की अन्य सम्पत्ति प्लाट नम्बर 195 आदित्य आवास, गोपाल विहार, पुलिस लाईन कोटा तथा एक वन बैडरूम यूनिट नम्बर 2398 माई हवेली स्कीम, अजमेर रोड, जयपुर पर स्थित है तथा पचपहाड़ तहसील व जिला कोटा में खेती की भूमि स्थित है । इन सम्पत्तियों के दस्तावेज विपक्षी एक तथा दो के द्वारा अपने बैंक लॉकर में रखे है। प्रार्थी के पति का देहान्त 10 वर्ष पूर्व हो चुका है । जुलाई 2021 मे विपक्षी संख्या 2, 3, तथा 4 ने फ्लेट विपक्षी संख्या दो के नाम करने के लिए कहा तथा गाली गलौच की । यह लोग प्रार्थिया को समय पर खाना नहीं देते है तथा दबाव डाल कर घर का काम कराते है। विपक्षी संख्या 2 के पास दो जर्मन शेफर्ड कुत्ते है, जिनका कार्य प्रार्थिया से करवाते है। प्रार्थिया की बेटी मिलने घर पर आती है तो उसे भगा देते है। प्रार्थिया बीमार हुई तो उसे डाक्टर को नहीं दिखाया तथा प्रार्थिया के द्वारा डाक्टर बुलाने पर उसे घर से भगा दिया । प्रार्थिया को झगड़ा कर घर से बाहर निकाल दिया। अंत में प्रार्थना की गई कि प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 2 में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा तथा अन्य सम्पत्ति के दस्तावेजात दिलाये जावे। विपक्षीगण के उक्त कृत्य से प्रार्थी का मासिक देखभाल खर्च 15,000/– रूपय दिलाया जावे। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट राहुल भास्कर चितले एवं भव्या छाबडा के द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्पष्ट कर दिया गया था कि प्रार्थिया स्वंय की मर्जी से पारिवारिक पैत्रक निवास कोटा एवं जयपुर में निवास कर रही है। प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति सैकिण्ड फ्लोर बी–42, पार्थ सारथी अपार्टमेन्ट सुन्दर सिंह भण्डारी नगर स्वेज फार्म सोडाला जयपुर प्रार्थिया की अर्जित निजी सम्पत्ति नहीं है। प्रार्थिया की कभी भी कोई स्वंतंत्र आय नही रही है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पिता तथा प्रार्थिया के पति स्वर्गीय श्री भास्कर काशीनाथ सरकारी सेवा में थे, जिनका दुर्टघना में देहान्त वर्ष 2011 में हो गया था। स्वर्गीय श्री भास्कर काशीनाथ की मृत्यु के पश्चात क्लेम एवं राज्य सरकार से जो धनराशि मिली थी वह रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के द्वारा प्रार्थिया को ही दिलाई गई तथा समस्त राशि को प्रार्थिया की अभिरक्षा में ही रखा गया । रेस्पोडेन्ट

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

संख्या 2 जयपुर में राजकीय सेवा में है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के द्वारा अपनी माता अर्थात प्रार्थिया को साथ रखने के उद्देश्य से उक्त सम्पत्ति खरीदना तय किया था। यह सम्पत्ति खरीदने में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा भी 20,00,000/--रूपये लगाया था। सम्पत्ति खरीद करने के लिए ऋण भी लिया गया जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 2 भी कौ एप्लीकेन्ट के तौर पर शामिल रहा । रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा अपनी माता के साथ स्वाभाविक स्नेह के कारण विकय पत्र का पंजीकरण केवल प्रार्थिया के नाम करवाया था । कोटा स्थित सम्पत्ति पैतृक सम्पत्ति है जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का भी हिस्सा है। फ्लैट नम्बर 2398, माय हवेली स्कीम अजमेर रोड जयपुर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के द्वारा प्रार्थिया के साथ संयुक्त रूप से खरीद की गई है । विकय पत्र प्रार्थिया तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 दोनों के संयुक्त नाम से है। अन्य सभी सम्पत्तियां पैत्रृक सम्पत्ति है। यह गलत है कि सभी सम्पत्ति के मूल दस्तावेजात रेस्पोडेन्ट सख्या 2 व 3 के द्वारा जबरदस्ती प्रार्थिया की अलमारी से चुरा कर लॉक में रखे गये है। दस्तावेजों की सुरक्षा के लिए दस्तावेजों को प्रार्थिया की सहमति तथा प्रार्थिया के कहे अनुसार ही लॉकर में रखा गया था। अब प्रार्थिया अन्य लोगों के बहकावे आकर गलत व झूंठे आरोप लगा रही है। प्रार्थी के पति एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पिता की मृत्यु के पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने प्रार्थिया का पूरा ख्याल रखा तथा पूरा सम्मान दिया। पिताजी की मृत्यु के पश्चात क्लेम तथा सरकार से एक बडी धनराशि लगभग 52 लाख रूपये प्राप्त हुई थी। जिसका पूरा नियंत्रण प्रार्थिया के हाथ में ही रखा गया । अचानक मिली इस धन राशि पर कई लोगों की नजर थी, परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के कारण कोई कुछ बोलता नहीं था। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा अपनी पसंद की लकडी रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से दिसम्बर 2015 में विवाह किया था जिससे प्रार्थिया बिलकुल भी खुश नही थी। प्रार्थिया रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का विवाह अपने समाज की लडकी से करना चाहती थी। जिससे उसे दहेज भी मिलता । इस स्थिति का फायदा उठा कर प्रार्थिया की बहिन श्रीमती अनीता भागवत जो विवाह के पश्चात से ही अपने पति के साथ रायबरेली में रहती है तथा प्रार्थिया की बडी पुत्री उर्वशी, रस्पोडेन्ट संख्या 2 की बहन जो विवाहित है तथा पुणे में रहती थी तथा वर्तमान में जबलपुर में रहती है, के द्वारा प्रार्थिया को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के विरूद्व भडकाना शुरू कर दिया। यह दोनों वास्तव में प्रार्थिया का भला नंही चाहती है, बल्कि इन दोनों की नजर वास्तव मे प्रार्थिया के पैसों पर है । इसलिए प्रार्थिया को विपक्षीगण के विरूद्व भडकाना शुरू कर दिया । पिछले कुछ समय से प्रार्थिया के द्वारा इन दोनों के साथ षडयंत्र में शामिल होकर अनावश्यक और झूंठी शिकायतें की जारही है अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 4 वृद्व है तथा उस समय कोरोना के गम्भीर रूप से पीड़ित रहने से अस्पताल में भर्ती रहने के पश्चात अत्यधिक कमजोर हो चुके थे तथा अपने फ्लैट में ही लगभग बेड रेस्ट पर थे। इसलिए अपीलार्थी के द्वारा जानबूझ कर अपीलार्थी एवं रेस्पोडेट संख्या 4 का पता गलत लिखवाया है जबकि अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 4 के द्वारा श्रीमती किरण चितले के साथ दुर्व्यवाहार किए जाने अथवा अभद्रता करने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। प्रार्थिया के द्वारा जानबूझ कर अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 4 का पता गलत लिखवाया गया है जबकि चौथी मंजिल पर अपने स्वयं के अलग फ्लैट में रहते है। अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 एवं 3 के द्वारा कभी भी प्रार्थिया को गाली नहीं दी ना ही कोई मारपीट की। सभी विपक्षीगण प्रार्थिया का बहुत सम्मान करते है तथा प्रार्थिया के साथ गाली गलोच व मारपीट के बारे मे सोच भी नहीं सकते। प्रार्थिया के द्वारा अपनी बहन एवं पुत्री के बहकावे मे आकर पूरी तरह से झूंठे और असत्य कथन अंकित किए है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के द्वारा घर के सभी काम करने के लिए हैल्पर रखी हुई

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

थी। इसलिए प्रार्थिया के घर का काम करवाए जाने का कोई प्रश्न ही उत्पन नहीं होता है । प्रार्थिया के पति के द्वारा अपने जीवन काल में ही घर में कुत्ते पालना प्रारम्भ किए थे जब रेस्पोडेन्ट संख्या 3 का विवाह हुआ था उस समय घर मे दो कुत्ते थे जिनमें से एक रोटविजयर नस्ल के कुत्ते की मृत्यु सन् 2020 में हो गई तथा दूसरे कुत्ते की मृत्यु दिसम्बर 2021 में हो चुकी है। प्रार्थिया की बेटी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की बहन है जिसके साथ गन्दा व्यवहार करने या गंदी गालियां देने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। वास्तव में जब भी प्रार्थिया बीमार हुई रेस्पोडेन्ट संख्या 2 एवं 3 के द्वारा उनका पूरा इलाज कराया गया तथा पूरी सेवा की गई। प्रार्थिया के कोविड–19 बीमारी भी हुई जिसमें भी प्रार्थिया की सेवा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 एवं 3 के द्वारा की गई, उन्हें डाक्टर के यहां ईलाज के लिए भी ले जाया गया गया, दवाईया भी दिलवाई गई। शारीरिक रूप से सेवा का पूरा ध्यान रखा गया उसके पश्चात ही प्रार्थिया स्वस्थ हुई। प्रार्थिया की सेवा करने के लिए रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के अतिरिक्त अन्य कोई रिश्तेदार कभी नहीं रहा । प्रार्थिया की एक आंख का आपरेशन रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के विवाह से पूर्व तथा दूसरी आंख का आपरेशन विवाह के पश्चात कोटा में ही करवाया गया था। प्रार्थिया स्वयं कोटा के मकान में बेटी को बुलाने तथा कुछ दिन वहां रहने का कह कर स्वयं अपना सामान ले कर गई थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के द्वारा कभी भी प्रार्थिया को घर से बाहर नहीं निकाला विपक्षीगण पढे लिखे तथा शान्ति प्रिय व्यक्ति है। विपक्षीगण के द्वारा कभी भी प्रार्थिया के साथ कोई अप्रिय घटना नहीं की तथा ना ही ऐसा करने ही सोच सकते है। प्रार्थिया की पुत्री अर्थात विपक्षी संख्या दो की बहन उर्वशी का विवाह जनवरी 2012 में हुआ था उस समय रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के द्वारा ही समस्त जिम्मेदारी उठाते हुए विवाह सम्पन्न करवाया था। प्रार्थिया के द्वारा अपनी बहन एवं पुत्री के बहकावे में आकर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को अपने पिता की सम्पत्ति से वंचित करने के उद्देश्य से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करवाया है। प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या दो में वर्णित सम्पत्ति से कभी भी प्रार्थिया को बेकब्जा नहीं किया गया। इसलिए कब्जा दिलाए जाने जैसी कोई सूरत नहीं बनती है। प्रार्थिया के द्वारा प्रार्थना पत्र में विपक्षीगण से मासिक देखभाल खर्च के रूप में 15000/–रूपये की मांग की गई है जो पूरी तरह से अनुचित है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पिता की मृत्यु के पश्चात प्रार्थिया को प्रति माह पेंशन भी प्राप्त होती है। वर्तमान में जानकारी के अनुसार 36,000/–रूपया प्रति माह से अधिक पेंशन प्राप्त हो रही है। पेंशन से अतिरिक्त कृषि भूमि से भी आय होती है जो प्रार्थिया ही प्राप्त करती है । इसके अतिरिक्त भारतीय जीवन बीमा निगम से भी प्रति माह पेंशन योजना के तहत पेंशन प्राप्त होती है। प्रार्थिया के पास पी एन बी हाउसिंग फाईनेन्स में से एफ डी आर के रूप में भी बड़ी धनराशि जमा है जिससे भी नियमित रूप से ब्याज एवं आय प्राप्त होती है। भारतीय जीवन बीमा निगम से जो अन्य पालिसियां प्राप्त की हुई है उनसे भी समय समय पर मनी बैक के रूप में राशि प्राप्त होती रहती है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पिता के द्वारा अन्य कई अचल सम्पत्तियां छोडी गई थी। जिनमें से कई का वि कय प्रार्थिया के द्वारा किया जा चुका है । इस प्रकार प्रार्थिया के पास पर्याप्त सम्पत्ति है तथा पर्याप्त मासिक आय प्राप्त हो रही है। प्रार्थिया के पास काफी मात्रा में शेयर्स एवं म्युचुअल फण्ड भी है। वारतव में प्रार्थिया को मासिक देखभाल खर्च के लिए कोई राशि की आवश्यकता विपक्षीगण से नहीं है। प्रार्थिया के द्वारा सभी विपक्षीगण से मासिक देखभाल व खर्च की मांग की गई है जबकि अपीलार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 4 का प्रार्थिया के प्रति कोई भी प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दायित्व नही है। प्रार्थिया के द्वारा अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 4 को गलत रूप से तथा केवल परेशान करने के उद्देश्य से पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थना

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

पत्र में प्रार्थिया के द्वारा अपीलार्थी कुलजीत छाबडा एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 4 श्रीमती सुरजीत पत्नी श्री कुलजीत को भी पक्षकार बनाया गया जो प्रार्थिया की पुत्रवधु के माता–पिता है। माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के तहत अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 4 को पक्षकार नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए प्रार्थना पत्र कानूनन मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ अधिकरण ने आदेश दिनांक 7.11.2022 के माध्यम से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर मकान संख्या बी–42 पार्थ सारथी अपार्टमेन्ट सेकण्ड फ्लोर, सुन्दर सिंह भण्डारी नगर, स्वेज फार्म, सोडाला जयपुर में विपक्षीगण प्रार्थी को रहने दे तथा परेशान नहीं करे तथा अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 प्रार्थिया को बतोर भरण पोषण राशि प्रति 4,000–4000 प्रत्येक देवें। अपीलार्थी जो कि ना तो आवेदक प्रार्थिया तथा रेस्पोडेन्ट श्रीमती किरण चितले के संबंध में बालक की परिभाषा में आता है ना ही नातेदार की परिभाषा में आता है जिसके विरूद्व भी भरण पोषण के रूप में 4000/– रूपये प्रति माह दिये जाने के आदेश पारित किए गए है । माननीय अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 07 नवम्बर 2022 से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत है। अधिनियम की धारा 4 के अनुसार भरण पोषण के लिए आवेदन माता पिता की दशा में अपने एक या अधिक बालकों के विरूद्व प्रस्तुत किया जा सकता है तथा आवेदक के निसन्तान वरिष्ठ नागरिक होने की दशा में ऐसे नातेदार के विरूद्व आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है जो धारा 2 के खण्ड छ में निर्दिष्ट है। बालक की परिभाषा अधिनियम की धारा 2 क में दी हुई है। जिसमें केवल पुत्र पुत्री या पौत्र पोत्री आते है। प्रार्थना पत्र से स्पष्ट है कि प्रार्थी श्रीमती किरण चितले के दो सन्तान अर्थात 1 पुत्र व 1 पुत्री है । वरिष्ठ नागरिक के पुत्र या पुत्री के जीवित रहते अन्य किसी नातेदार या किसी व्यक्ति के विरूद्व इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 श्रीमती किरण चितले के द्वारा अपनी पुत्रवधु के माता–पिता के विरूद्व भी भरण पोषण राशि दिलाये जाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जो किसी भी प्रकार से मेन्टेनेबल नहीं था। अपीलार्थी जो कि ना तो श्रीमती किरण चितले के संबंध में बालक की परिभाषा में आता है ना ही नातेदार की परिभाषा में आता है इसके बावजूद अधीनस्थ अधिकरण द्वारा अपीलार्थी कुलजीत छाबडा को आलौच्य आदेश से भरण पोषण के रूप में 4000/–रूपये प्रति माह दिए जाने के ओदश पारित कर दिये । अधीनस्थ अधिकरण के द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया गया कि मूल प्रकरण में विपक्षी संख्या 3 अर्थात अपीलार्थी श्रीमती किरण चितले के एसे नातेदार की परिभाषा में नहीं आते है जो वरिष्ठ नागरिक के निसंतान होने की दशा में उनकी सम्पत्ति को प्राप्त करने का अधिकार रखते हो। रेस्पोडेन्ट संख्या एक प्रार्थी के द्वारा कानूनी प्रावधानों के विपरीत प्रार्थना पत्र के रूप में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 4 पर पक्षकार बनाया, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा इस तथ्य को नजर अन्दाज करते हुऐ रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 के विरूद्व नोटिस भी जारी कर दिए और अपीलार्थी कुलजीत छाबडा द्वारा भी भरण पोषण राशि दिये जामें का आलौच्य आदेश जारी कर दिये जिसे अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष सम्पूर्ण विचारण की कार्यवाही दूषित हो गई । अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश अपास्त किए जाने के आदेश फरमावे।

5. प्रत्यर्थी राहुल भास्कर चितले, भव्या छाबडा एवं श्रीमती सुरजीत कौर ने अपीलार्थी के कथनों का समर्थन करते हुये अपील खारिज किये जाने आ अनुरोध किया है।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

अधीनस्थ अधिकरण ने आलौच्य आदेश द्वारा श्रीमती किरण चितले के पुत्र राहुल भास्कर चितले व पुत्र वधु के पिता कुलजीत छाबडा से बतौर भरण पोषण राशि 4000–4000 रूपये प्रतिमाह दिलाये जाने के आदेश पारित किये है। अपीलार्थी कुलजीत छाबडा रेस्पोडेन्ट संख्या एक श्रीमती किरण चितले की पुत्रवधु भव्या छाबडा के पिता है । बालक की परिभाषा में अधिनियम की धारा 2 (क) के तहत केवल पुत्र–पुत्री या पौत्र–पोत्री आते है। पुत्र व पुत्रवधु के विरूद्व भरण पोषण का आदेश दिया जाना उचित है, परन्तु पुत्र के स्वसुर एवं पुत्रवधु के पिता कुलजीत छाबडा से भरण पोषण दिलाये जाने का आलौच्य आदेश पारित किया गया है जो किसी भी तरह से उचित नही पाते है। प्रार्थिया श्रीमती किरण चितले के पति स्व॰ श्री भास्कर काशीनाथ चितले राजकीय सेवा में थे, जिनकी पेन्शन राशि भी प्राप्त हो रही है। फलस्वरूप अपील आंशिक स्वीकार की जाती है।

8. अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.11.2022 को अपीलार्थी कुलजीत छाबडा से भरण पोषण की राशि दिलाये जाने की हद तक अपास्त किया जाता है। शेष आदेश यथावत रखा जाता है।

9. आदेश की प्रति मय मिसल मातहत माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

10. निर्णय आज दिनांक **19.12.2023** को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर